समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

The Epidemic Diseases Act, 1897 की धारा 2 एवं **Disaster Management Act-2005** तथा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–115 (HS) दिनांक–22.03.2020 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण पूर्वी चम्पारण जिले में कोरोना वायरस (कोविड–19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एवं उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से कंडिका 1 में अंकित स्थानों पर तथा कंडिका 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद (**Lockdown**) करने का निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :–

1. सभी जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर यह आदेश लागू होगा।
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
3. निम्न सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों / सेवाओं को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है:–
   - i. निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,
   - ii. दूरसंचार सेवा,
   - iii. बैकिंग एवं ए0टी0एम सेवायें,
   - iv. डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान,
   - v. खाद्यान एवं किराने के प्रतिष्ठान,
   - vi. फल–सब्जियों की दूकानें,
   - vii. दवा की दूकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान,
   - viii. पेट्रोल पंप एवं सी0एन0जी0 स्टेशन,
   - ix. एल0पी0जी0 गैस एजेंसी,
   - x. पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें,
   - xi. ई–कॉमर्स सेवायें,
   - xii. इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया,
4. उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एम्बुलेन्स, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। साथ ही कंडिका–2 में वर्णित कार्यों / सेवाओं के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों एवं सरकारी कार्यों में लगे हुए वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रहेंगे।

   पूर्वी चम्पारण जिले में अत्याश्यक सेवाओं के वाहनों के परिचालन हेतु चिकित्सा विभाग के लिए सिविल सर्जन, मोतिहारी, अनुमंडल स्तरीय सेवाओं के लिए संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी, पुलिस विभाग के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर मोतिहारी, जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी एवं मीडिया कर्मियों के लिए जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मोतिहारी को वाहनों के परिचालन हेतु पास देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

5. सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत आदेश सं0–26 दिनांक–21 मार्च, 2020 एवं आदेश संख्या–3736 दिनांक–13 मार्च, 2020 लागू रहेंगे। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश भी लागू रहेगा।

6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा **The Epidemic Diseases Act, 1897** के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत आदेश यथावत लागू रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–............................/आ0प्र0, मोतिहारी, दिनांक–..........................

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण/सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर, मोतिहारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/समाहरणालय स्थित सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण एवं सभी थानाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–.......88.............../आ0प्र0, मोतिहारी, दिनांक–22/3/2020

प्रतिलिपि– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/2020

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।